



बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड

(निजी) सार्वजनिक प्रसारण बिजली निगम लिमिटेड
TIN: 15 No. 100/2007 (Part) C.A. 1/2007 (Part)
Website - www.bshel.bihel.com

DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCE & ADMINISTRATION

कार्यालय आदेश संख्या 361 /पटना,

दिनांक 19-02-2018

LA/Counsel Panel-15/2007 (Part)

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों के पटना उच्च न्यायालय, पटना के लिए नामित विभिन्न कोटि के स्थायी समुपदेशकों का व्यवसायिक शुल्क एवं अन्य शर्तें तत्क्षण प्रभाव से पुनरीक्षित कर निम्न रूपेण निर्धारित किया जाता है-

क्रम सं०	अधिवक्ताओं का पदनाम	अनुभव	प्रतिधारण शुल्क (प्रतिमाह रिटेनरशिप फी)	दैनिक शुल्क
1	2	3	4	
1	स्थायी समुपदेशक (SC)	न्यूनतम 20 वर्ष	रु० 15,000/-	रु० 8,000/-
2	अपर स्थायी समुपदेशक (Addl.C)	न्यूनतम 15 वर्ष	रु० 10,000/-	रु० 6,000/-
3	सहायक स्थायी समुपदेशक (ASC)	न्यूनतम 10 वर्ष	रु० 7,500/-	रु० 4,000/-
4	सहायक अधिवक्ता (AC)	न्यूनतम 10 वर्ष	-	रु० 2,500/- प्रति वाद (समेकित रूप से)

अन्य शर्तें :

- I. आर्विट्रेशन मामले जो कि आर्विट्रेशन ट्रिब्युनल के समक्ष दाखिल होते हैं और कंपनी के स्थायी समुपदेशक, अपर स्थायी समुपदेशक या सहायक स्थायी समुपदेशक मामले के संचालन हेतु अधिकृत किए जाते हैं तो उस परिस्थिति में उनके पटना उच्च न्यायालय में निर्धारित शुल्क की दोगुनी राशि प्रति सुनवाई एवज के आधार पर देय होगी। साथ-ही-साथ ड्रॉपटिंग के लिए एक दिवस के लिए निर्धारित देय शुल्क की आधी राशि और कॉन्फ्रेंस/चर्चा के लिए देय शुल्क की एक चौथाई राशि देय होगी।
- II. जो आर्विट्रेशन मामले पटना के बाहर हो रहे हों और उसके संचालन हेतु कंपनी के स्थायी समुपदेशक/अपर स्थायी समुपदेशक या सहायक स्थायी समुपदेशक अधिकृत होते हैं तो वैसी स्थिति में उच्च न्यायालय में उनके निर्धारित शुल्क की तिगुनी राशि प्रति सुनवाई दिवस होगी और समानुपातिक रूप से आधी राशि ड्रॉपटिंग हेतु एवं एक चौथाई राशि कॉन्फ्रेंस/चर्चा हेतु देय होगी और लिखित मंतव्य हेतु आधी राशि देय होगी।
- III. न्यायालय एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरण में लंबित चुनिन्दा मामलों में अगर स्थायी समुपदेशक, अपर स्थायी समुपदेशक एवं सहायक स्थायी समुपदेशक कंपनी के मामलों के संचालन हेतु अधिकृत होते हैं तो वैसी स्थिति में प्रति सुनवाई दिवस के आधार पर जो शुल्क आर्विट्रेशन के लिए निर्धारित है, वही शुल्क देय होगा।
- IV. पूरक शपथ-पत्र हेतु निर्धारित शुल्क की आधी राशि देय होगी। वर्तमान की भांति शपथ-पत्र दायर हेतु एक शुल्क यथावत् देय रहेगा।
- V. स्थाई समुपदेशक से नीचे स्तर के अधिवक्ता, जिन्हें वाद निष्पादन के लिए आवंटित है, आवश्यकतानुसार अपनी सुविधा के अनुरूप किसी स्थाई समुपदेशक का सहयोग वाद निष्पादन के लिए ले सकेंगे।
- VI. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त वर्तमान में प्रभावी अन्य शर्तें यथावत् रहेंगे।

आदेश से,

ह०/-

(राजीव रंजन सिन्हा)

महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)

ज्ञापांक ०७ /पटना

दिनांक 19.02/2018

प्रतिलिपि:- अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के (विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान आप्त सचिव)/निदेशक (प्रशासन) के प्रधान आप्त सचिव, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड/प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(राजीव रंजन सिन्हा)

महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)

ज्ञापांक ०७ /पटना

दिनांक 19.02/2018

प्रतिलिपि:- सभी स्थायी समुपदेशक/सभी अपर स्थायी समुपदेशक/सभी सहायक स्थायी समुपदेशक/सभी स्थायी समुपदेशक के सहायक अधिवक्ता/सभी पैनल अधिवक्ता, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राजीव रंजन सिन्हा)

महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)

ज्ञापांक ०७ /पटना

दिनांक 19.02/2018

प्रतिलिपि:- सभी महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)/सभी महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता/सभी मुख्य अभियंता/सभी महाप्रबंधक (राजस्व)/महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/परियोजना प्रबंधक/सभी उप महाप्रबंधक-सह-विद्युत अधीक्षण अभियंता/सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता/सभी उप महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)/सभी उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/उप महाप्रबंधक (कार्मिक)/उप महाप्रबंधक (जनसम्पर्क)/उप सचिव/उप विधि परामर्शी/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी (मा०सं०/प्रशा०)/विधि परामर्शी/सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता/सभी कार्पालक अभियंता (असैनिक)/उप विधि परामर्शी /सभी वरीय प्रबंधक/सभी अवर सचिव/सभी लेखा पदाधिकारी/सभी विधि पदाधिकारी/कम्पनी सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी विधि पर्यवेक्षक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना एवं इसके सभी अनुषंगी कम्पनियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ह०/-

(राजीव रंजन सिन्हा)

महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)

ज्ञापांक ०७ /पटना

दिनांक 19.02/2018

प्रतिलिपि:- आवासीय अभियंता, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड अतिथिशाला, नई दिल्ली/कोलकाता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(राजीव रंजन सिन्हा)

महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)

ज्ञापांक ०७ /पटना

दिनांक 19.02/2018

प्रतिलिपि:- उप महाप्रबंधक (आई०टी०)/डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उक्त संकल्प को बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड के वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।

(राजीव रंजन सिन्हा)

महाप्रबंधक (मा०सं०/प्रशा०)

11/02/18
20/2/18